

## आदेश

आयुधिक संवर्ग के अन्तर्गत मृत/कार्यरत/सेवानिवृत्त आयुधिक अवर निरीक्षक को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ देने हेतु संबंधित क्षेत्रीय पर्सदों से प्राप्त मनोनयन के आधार पर पुलिस महानिदेशक, बिहार पर्सद द्वारा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम-04 में अंकित तिथियों के प्रभाव से ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/जन्म तिथि/वर्तमान पदस्थापन	सिपाही के पद पर नियुक्ति की तिथि	देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० एवं उसकी तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	बजरंगी प्रसाद सिंह/ प्रा०अ०नि० आयु०/01.12.63 /मधेपुरा	21.07.88	दि०-21.07.18 से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय	
2	शैलेन्द्र कुमार सिंह/आयुद्ध जमादार /05.11.66/बेतिया	24.02.86	पूर्व में प्रदत्त प्रथम ए०सी०पी० एवं द्वितीय एम०ए०सी०पी० को संशोधित करते हुए क्रमशः दि०-25.02.2000 से प्रथम ए०सी०पी० एवं दि०-07.09.2011 से द्वितीय एम०ए०सी०पी० तथा दि०-31.10.2017 से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय	इन्हें वृहद सजा होने के कारण आ० हव० में प्रोन्नति कैसे मिला, इसकी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।
3	शशि शेखर मिश्र/आयुद्ध प्रा०अ०नि० /04.01. 68/मोतिहारी	17.06.88	लंबित	वि०का०-18/02 की घटना की तिथि अंकित नहीं रहने के कारण
4	ललन कुमार/आमोरेर जमादार /06.01.63/जमुई	27.08.88	दि०-27.08.18 से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय	
5	मनोहर टोपनी/आ०प्रा०अ०नि० /18.09.54/लखीसराय	01.07.74	दि०-01.01.09 से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय	सेवानिवृत्त
6	परमहंस सिंह /आयुद्धिक अ०नि० /05.11.66/ वि०सै०पु०-13. दरभंगा	15.07.88	दि०-15.07.18 से तृतीय एम०ए०सी०पी० देय	दि०-01.10.19 को मृत
7	शैलेन्द्र कुमार सिंह/ आयुद्ध अ०नि०/14.09. 68/सीतामढी	03.09.88	पूर्व में प्रदत्त द्वितीय एम०ए०सी०पी० दि०-01.01.2009 को संशोधित करते हुए दि०-22. 09.2012 से देय तथा तृतीय एम०ए०सी०पी० विचारण की	

1. ए०सी०पी० देय होने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-3 एम-2-5-वे०पु०-28/99 4685 वि० (2) दिनांक-25.06.2003 की सूची में यथावर्णित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लिए वेतनमानों की सूची के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा।

2. एम0ए0सी0पी0 देय होने की स्थिति में वित्त विभाग संकल्प संख्या-3 ए-2-वे0पु0-18/2009 7566, दिनांक- 14.07.2010 की परिशिष्ट-1 की कंडिका-4 एवं 5 में वेतन निर्धारण संबंधित यथावर्णित बिन्दुओं के अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।
3. भूलवश या अद्यतन सूचना के अभाव में ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना का लाभ हेतु योग्य पाये गये आयुधिक अवर निरीक्षक के संबंध में कोई ऐसी सूचना कालांतर में प्राप्त होती है, जिसके कारण देय तिथि को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना का लाभ देय नहीं होगा तो इस क्रम में भुगतान की गई राशि की नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।
4. आयुधिक अवर निरीक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही/विभागीय जाँच/फौजदारी मुकदमा आदि लंबित रहा हो, जिसमें घटना की तिथि देय तिथि से पूर्व हो या ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ देय तिथि के पूर्व से वृहद सजा प्रभावी हो तो उनके ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का लाभ लंबित रखते हुए अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार



पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)  
बिहार, पटना

ज्ञापांक.....११...../पी04

20-01-07-2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 27.01.2020

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा/मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर/चम्पारण क्षेत्र, बेतिया/सैन्य पुलिस, उत्तरी मंडल, मुजफ्फरपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/बेतिया/मोतिहारी/जमुई/लखीसराय/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-13, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. आई0टी0मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण)  
बिहार, पटना।